## मध्य प्रदेश शासन रकूल शिक्षा विभाग मंत्रालय

वल्लभ भवन,भोपाल-462004

कमाक-362/2229/2018/20-3

भोपाल, दि० / 7/5/2019

पति.

सचिव सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली।

विषय:- अशासकीय संस्था को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेत् अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वावत।

राज्य शासन एतद ब्दारा अशासकीय संस्था-वैष्णवी पब्लिक एकेडमी आठनेर, जिला बैतूल, म०प्र० को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तो के आधार पर प्रदान किया जाता है:-

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम, 2017 में दिये गये प्रावधानों का पालन किया जावेगा।

- प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएं स्थापित हो चुकी है, उनका लाभ प्रदेश (2) के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मिल सके इस हेतु संस्था की कार्यकारिणी में म०प्र० माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि/अधिकारी को नामांकित किया जाये।
- संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग (3) का एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में सिम्मलित करना अनिवार्य
- संस्था व्दारा प्रवेश संबंधी नियम प्रकिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय (4) प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा।
- संस्था विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं (5) खेलकूद कार्यकम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का मैदान, छात्रावास भवन की सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिखा जाये।

संख्या व्दारा प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान (6) मेलो आदि के आयोजन में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान की जावेगी।

> मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग

निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक (7) होगा। संरथा निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापित प्रमाण पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुरतके एवं लेखन सामग्री (8) खुले बाजार से क्य करने की सुविधा रहेगी। किसी दुकान विशेष से

क्य करने की बाध्यता नहीं रहेगी।

संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापिस (9) भेजने के लिये परिवहन विभाग व्दारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैद्य वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहर्नों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू एल०पी०जी० आदि से संचालित नहीं किया जायेगा।

शिक्षण संस्था में मान० उच्चतम न्यायालय व्दारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कियाशील अग्नि-शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था की जाएगी तथा इस संबंध में भारत सरकार व्यारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन भी करना होगा।

छात्रों की सुरक्षा तथा परिवहन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग व परिवहन विभाग व्यारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना

संस्था के पुरतकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन व्दारा प्रतिबंधित पुरतकें भी नहीं रखी जा सकेगी।

संस्था के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग (13) व्यारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार

उपर्युक्तानुसार शर्तो का पालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

अनुभाग अधिकारी मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

> Luc (कलावंती उइके) अवर सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल, दि० 17- /5/2019

पृ० कमांक-3(32229/2018/20-3 प्रतिलिपि:-

(1) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म०प्र० भोपाल।

निरन्तर...3

1/3//

सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म०प्र० भोपाल। (2)

संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग ......, म०प्र० (3)

(4)

(5)

जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-बैतूल, म०प्र० निज सहायक, मान्० मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल। प्राचार्य, अशासकीय संस्था-वैष्णवी पब्लिक एकेंडमी आठनेर, जिला बैतूल, (6) म०प्र०

फोल्डर प्रति (7)

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत अग्रेषित।

अवर सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विमाग